Terms and Conditions

1. **BRIEF ROLE OF BC SUPERVISOR** :- जिले में कार्यरत BC's के कार्यो का मूल्यांकन (Evaluation) एवं नियमित जाँच का कार्य करना।

2. **ELIGIBILITY** :-

1) किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र/ग्रामीण बैंक से सेवानिवृत्त/वीआरएस प्राप्त **स्केल–I से IV** तक के अधिकारी इस हेतु आवेदन कर सकेंगे।
2) नियुक्त किये जाने वाले अधिकारी द्वारा यदि कभी ग्रामीण परिवेश में बैंकिंग कार्य निष्पादित किया गया हो तो ऐसे अधिकारियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
3) आवेदन की उम्र **अधिकतम 63 वर्ष** तक होनी चाहिये जिन्हें एक वर्ष हेतु संविदा आधार पर रखा जायेगा। नियुक्त अधिकारी के कार्यों की समीक्षा उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने पर, आगामी एक वर्ष हेतु परन्तु **65 वर्ष तक की आयु पूर्ण** होने तक बढ़ाया जा सकेगा।
4) आवेदक चिकित्सकीय दृष्टिकोण से कार्य निष्पादन हेतु सक्षम होना चाहिए ताकि आवेदक आबंटित कार्य का सुगमतापूर्वक निष्पादन कर सके। इसके लिये आवेदक को चिकित्सा अधिकारी से Fitness Certificate प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
5) सर्तकता के दृष्टिकोण से सेवाच्युत/बर्खास्त आवेदक की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।
6) जिस जिले (केन्द्र) हेतु बैंक मित्र सुपरवाईजर की नियुक्ति की जानी है, उस जिले (केन्द्र) में निवास करने वाले स्थानीय आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

2. **SERVICE CONDITION** :- BC SUPERVISOR की नियुक्ति संविदा पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए की जायेगी उसके बाद कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर समीक्षा उपरान्त एक वर्ष आगे नवीनीकरण किया जा सकता हैं।

3. **REMUNERATION** :- नियुक्त बीसी सुपरवाईजर को स्थाई प्रकृति का वेतन, जिसमें रू॰ 15000/- पारिश्रमिक, रू॰ 3000/- यात्रा, मोबाइल एवं व्यवसाय विकास हेतु भत्तो स्वरूप कुल रू॰ 18000/- स्थाई मासिक वेतन दिया जाना प्रस्तावित हैं। यात्रा पर किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

4. **TIMING OF BC SUPERVISOR** :- सोमवार से शनिवार – 10:00 AM TO 5:00 PM
प्रत्येक माह के द्वितीय व चतुर्थ शनिवार को अवकाश।

5. **HEADQUARTER** :- बैंक मित्र पर्यवेक्षक का सेवा क्षेत्र एक जिले का रहेगा एवं सबंधित जिले के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय में उनका मुख्यालय रहेगा।

6. **TERMINATION OF CONTRACT** :- बीसी सुपरवाईजर हेतु संविदा आधार पर चयनित सेवानिवृत अधिकारी को, उनकी सेवाऐं संतोषप्रद नहीं होने पर बैंक द्वारा, एक माह पूर्व नोटिस देकर या एक महिने का **Gross** पारिश्रमिक का भुगतान करके सेवाएं समाप्त की जा सकती है एवं इसी क्रम में चयनित सेवानिवृत अधिकारी स्वयं द्वारा भी व्यक्तिगत कारणवश: एक माह पूर्व नोटिस देकर अपनी सेवाएं समाप्त कर सकता है।

7. **LEAVE FACILITY** :- चयनित सेवानिवृत अधिकारी को वर्ष में 15 दिन का अवकाश प्राप्त होगा। एक साथ 6 दिन से ज्यादा का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। एवं 15 दिन से ज्यादा अवकाश लेने पर एक कार्यदिवस के दर से आनुपातिक वेतनमान काटा जायेगा।

8. **REPORTING & MONITORING** :- बैंक मित्र सुपरवाईजर द्वारा माह के दौरान निष्पादित कार्यों की प्रगति रिपोर्ट आगामी माह की 01 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी, जिसकी समीक्षा क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर की जाकर, संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा पारिश्रमिक जारी करने अथवा रोकने की अनुशंषा सहित हस्ताक्षरित प्रति प्रधान कार्यालय को अग्रेषित की जायेगी।

9. चयनित सेवानिवृत अधिकारी को बैंक में स्थाई / अस्थाई / ADHOC BASIS पर पद ग्रहण करने के क्लेम का अधिकार नहीं होगा।

10. चयनित सेवानिवृत अधिकारी को निम्नलिखित औपचारिकताऐं पूर्ण करनी होगी।

- मान्यता प्राप्त Doctor से मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त कर बैंक को Submit करना होगा।
- Contract की Terms and Condition से बाध्य होने की रू॰ 500/- के स्टॉम्प पर undertaking बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।
- अगर आप कही सेवाएं दे रहे है तो नियोक्ता का No Objection Certificate प्रस्तुत करना होगा।
- बैंक से सेवानिवृत होने के प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

11. चयनित सेवानिवृत अधिकारी Contract के समय बैंक की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा की नीति पर चलेगा।

12. चयनित सेवानिवृत अधिकारी, बीसी सुपरवाईजर व बैंक से संबधित किसी भी प्रकार की जानकारी को पूर्णतया गोपनीय रखेगा एवं Non-Disclosure Norms का अनुसरण करेगा।

13. कार्य की प्रकृति Contractual basis होने के कारण SC/ST/OBC/PH के लिए किसी प्रकार का आरक्षण नहीं होगा।